प्रेषक

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 02 मई, 2017**

विषय:- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-चावल/लेखा/एन.एम.एस.ए./वित्तीय स्वीकृति/2017-18/17/12, दिनांक 15.04.2017, पत्रांक चावल/लेखा/एन.एम.एस.ए./वित्तीय स्वीकृति/2017-18/18/13, दिनांक 15.04.2017 तथा पत्रांक- चावल/लेखा/एन.एम.एस.ए./वित्तीय स्वीकृति/17-18/19/14, दिनांक 15.04.2017 के संदर्भ में शासन के पत्र संख्या-435/12-3-2017-100(41)/2017, दिनांक 27.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-435/12-3-2017-100(41)/2017, दिनांक 27.04.2017 को संशोधित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11/83 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नेशनल मिशन फार सस्टेनबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत सब-मिशनों हेतु निम्न विवरण के अनुसार रू0-3395.46 लाख (रू0 तैंतीस करोड़ पंचानबे लाख छियालिस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि लाख रू0 में

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक	मानक मद	बजट प्राविधान	आर.ए.डी. (संयुक्त कृषि निदेशक, (राष्ट्रीय जलागम)	परम्परागत कृषि विकास नीति (संयुक्त कृषि निदेशक, (बाढ़ोन्मुखी)	मृदा स्वास्थ्य कार्ड (संयुक्त कृषि निदेशक, (शोध एवं मृदा)	मृदा स्वास्थ्य मैनेजमेंट (संयुक्त कृषि निदेशक, (शोध एवं मृदा)	कुल स्वीकृत धनराशि
अनुदान संख्या-11-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाय-0102-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर	02-मजदूरी	20.00	--	--	--	5.00	5.00
	04-यात्रा व्यय	5.00	--	--	--	1.25	1.25
	08-कार्यालय व्यय	20.00	--	--	--	5.00	5.00
	09-विद्युत व्यय	50.00	--	--	--	12.50	12.50
	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.50	--	--	--	0.38	0.38
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	30.00	--	--	--	7.50	7.50
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	332.00	--	--	83.00	--	83.00
	27-सब्सिडी	3738.32	468.80	389.91	56.91	18.97	934.58
	29-अनुरक्षण	40.00				10.00	10.00
	42-अन्य व्यय	4503.98	274.38	586.24	261.63	3.75	1126.00
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1540.00			385.00	--	385.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	425.43	5.63	82.74	17.98	--	106.35
	योग	**10706.23**	**748.80**	**1058.89**	**804.51**	**64.35**	**2676.56**
अनुदान संख्या-11-4402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें/0101-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर	24-वृहद निर्माण कार्य	35.00	--	--	2.25	6.50	8.75
	26-मशीन साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	1610.05	--	--	28.18	374.34	402.51
	योग	**1645.05**	**--**	**--**	**30.43**	**380.84**	**411.26**

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुदान संख्या-83-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें/0101-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर	27-सब्सिडी	655.10	126.88	22.50	14.40	--	163.78
	42-अन्य व्यय	556.57	61.75	22.31	55.08	--	139.14
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	18.88	0.75	0.19	3.78	--	4.72
	योग	**1230.55**	**189.38**	**45.00**	**73.26**	**--**	**307.64**
	महायोग	**13581.83**	**938.18**	**1103.89**	**908.20**	**445.19**	**3395.46**

(रू0 तैंतीस करोड़ पंचानबे लाख छियालिस हजार मात्र)

3- शासनादेश दिनांक 27.04.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की शेष शर्ते/प्राविधान यथावत रहेंगें।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

सं0-19/2017/435(3)/12-3-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

7- अपर कृषि निदेशक (भू.सं.), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।

9- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10- संयुक्त कृषि निदेशक, (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।

10- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है